

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2021

क्रमांक एफ ए 3-48/2019/1/पांच (61) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3/48/2019/1/पांच (09) दिनांक 23 फरवरी, 2021, के सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए, एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3/48/2019/1/पांच (31) दिनांक 04 मई, 2020 में प्रकाशित अधिसूचना के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए, अधिनियम की धारा 125 के तहत किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय दंड की राशि को 1 दिसंबर, 2020 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि के लिए माफ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2021

क्र. एफ ए-3-48-2019-1-पांच-61.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-48-2019-1-पांच (61), दिनांक 26 अगस्त, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव

Bhopal, the 26th August 2021

No. F A 3-48/2019/1/V(61) : In exercise of the powers conferred by section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of this department's notification No. FA-3-48/2019/1/V(09) Dated 23-02-2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125 of the said Act for non-compliance of the provisions of this department's notification NoFA-3-48/2019/1/V(31) Dated 04-05-2020 between the period from the 1st day of December, 2020 to the 30th day of September, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2021

क्रमांक एफ ए 3-36/2020/1/पांच (62) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है), के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-17/2020/1/पांच (55) दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा बनाया गया, 8 जून 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

2. इस अधिसूचना को जून, 2020 के 8वें दिन से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2021

क्र. एफ ए-3-36-2020-1-पांच-62.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36-2020-1-पांच (62), दिनांक 26 अगस्त, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.